न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–गोगरा
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 04/2005
दायरा तिथि 05.03.2005
निर्णय तिथि 16.05.2016

वादीगणः– **बनामः**

1–नरसा पुत्र किशनाजी
2–स्व.लक्ष्मण पुत्र कानाजी के का.मु.–
2/1–स्व.वागा पुत्र लक्ष्मणजी के का.मु.–
2/1/1–कुयाराम पुत्र वागाजी
2/1/2–पवनी पुत्री वागाजी
2/2–बदाराम पुत्र लक्ष्मणजी
2/3–खीमाराम पुत्र लक्ष्मणजी
2/4–मोहनलाल पुत्र लक्ष्मणजी
3–रूगा पुत्र कानाजी
4–हंजारिया पुत्र नथाजी
5–मीठीया पुत्र नथाजी
6–धन्ना पुत्र नथाजी
7–स्व.दलु पत्नी नत्थाजी के का.मु.–
7/1–हंजारीराम पुत्र नथाजी
7/2–मीठाराम पुत्र नथाजी
7/3–धन्नाराम पुत्र नथाजी
7/4–कुकी पुत्री नथाजी
तमाम जातिगण भील
निवासीगण गोगरा तह.सुमेरपुर

प्रतिवादीगणः–

1–शैतानसिंह पुत्र सरदारसिंहजी
2–जबरसिंह पुत्र सरदारसिंहजी
3–केसरसिंह पुत्र सरदारसिंहजी
4–चम्पाकंवर पत्नी शैतानसिंहजी
5–भंवरीकंवर पत्नी जबरसिंहजी
6–लीलकंवर पत्नी केसरसिंहजी
तमाम जातिगण राजपूत
निवासीगण गोगरा तह. सुमेरपुर
7–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 RTAct,1955 एवं
सपठित धारा 136 RLRAct,1956

–: नि र्ण य :–

दिनांक 16.05.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–गोगरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद विषयक–स्थिति अनुसार में वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा गोगरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादीगण व प्रतिवादी सं.01 व 02 के संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि गत् खसरा नं. 66, 68, 71, 82, 81 रकबा क्रमशः 4)17, 35)6, 40)10, 16)1, 0)6 कुल रकबा 97) बीघा जिसके नये खसरा नं. 157, 158, 188, 159/383, 162, 163, 164, 185, 189, 191 रकबा क्रमशः 0.52, 1.85, 1.43, 2.80, 2.39, 3.87, 0.31, 0.45, 0.87, 0.32 हेक्टर कुल रकबा 14.81 हेक्टर बने है, जिसमें सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती/त्रुटि को दुरूस्त करते हुए वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी सं.01 व 02 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने, बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व तरमीम करने तथा वादीगण के बंट–हिस्से मुजब खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

दखलदांजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय/डिक्री पारित फरमावे। तत्पश्चात् प्रश्नगत् मामले में इस न्यायालय हाजा द्वारा विधिक कार्यवाही को अमल में लाते हुए पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि व उनके गुणावगुण के आधार पर दिनांक 09.02.2012 को निर्णय/प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त पारित निर्णय/प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.02.2012 की पालना हेतु यह पत्रावली विचारार्थ रहते संबंधित पटवारी गोगरा व भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ ने प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश कर आपत्ति जाहिर की है कि निर्णय/प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.02.2012 जारी करते वक्त लिपिकीय भूल से वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नं. 164 के स्थान पर 165 दर्ज कर दिया है, इसके अलावा प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को वर्ष 2005 में ही क्रेतागण शैतानसिंह, जबरसिंह, केसरसिंह पि. सरदारसिंह, चम्पाकंवर पत्नी शैतानसिंह, भंवरीकंवर पत्नी जबरसिंह, लीलाकंवर पत्नी केसरसिंह के नाम बैचान कर दी थी तथा वर्ष 2006 से उक्त क्रेतागण वादग्रस्त हिस्सा भूमि के खातेदार दर्ज है जिन्हें पत्रावली पर पक्षकार नहीं बनाया है।

(2) कि यह पत्रावली विधिक प्रक्रिया की कार्यवाही के तहत विचारार्थ रहते इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में प्रस्तुत होने से लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु इस न्यायालय हाजा द्वारा स्वःविवेक के आधार पर प्रतिवादी सं.01 व 02 के स्थान पर उनसे वादग्रस्त कृषि भूमि के खरीदसुदा हाल खातेदार शैतानसिंह, जबरसिंह, केसरसिंह पि.सरदारसिंह, चम्पाकंवर पत्नी शैतानसिंह, भंवरीकंवर पत्नी जबरसिंह, लीलाकंवर पत्नी केसरसिंह कौम राजपूत निवासी गोगरा को बतौर प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है और प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पटवारी गोगरा व भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ ने प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट के साथ–2 अन्य तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 157, 158, 188, 159/383, 162, 163, 164, 185, 189, 191 कुल रकबा 14.81 हेक्टर गत् खसरा नं. 66, 68, 71, 82, 81 से बने है जिसका रकबा 97) बीघा अर्थात 15.52 हेक्टर था, परन्तु गत् व हाल रकबे में 0.71 हेक्टर की कमी हुई है। इसके अलावा गत् रेकर्ड अनुसार नरसा वगैरा का 1/2 हिस्सा व मोडा वगैरा का 1/2 हिस्सा दर्ज था जिसके सेटलमेंट विभाग ने दो अलग–2 खाते दर्ज किए जिसमें से मोडा वगैरा के खाते में 8.21 हेक्टर तथा नरसा वगैरा के खाते में 6.60 हेक्टर दर्ज की। खातेदार मोडा वगैरा ने अपना हक–हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख द्वारा शैतानसिंह वगैरा को बैचान कर देने वर्तमान राजस्व रेकर्ड में शैतानसिंह वगैरा खातेदार दर्ज है, गत् 1/2 हिस्से की गणना अनुसार शैतानसिंह के हिस्से में रकबा 7.76 हेक्टर दर्ज होना चाहिए था परन्तु वर्तमान में रकबा 8.21 हेक्टर दर्ज है अर्थात इनके हिस्से में 0.45 हेक्टर भूमि बेसी दर्ज हुई है।

परन्तुक, प्रश्नगत् मामले में पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से इस आशय का राजीनामा पेश किया है "कि संलग्न बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करवाने को सहमत है।" इसलिए राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण फरमावे। हमने, लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा की इबारत को बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के फलस्वरूप हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् मामले में पक्षकारों के तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में पटवारी गोगरा व भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ की तैयार सुदा प्रस्तावित बंटवाडा के अनुरूप पक्षकारों को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किए जाने तथा पक्षकार एक–दुसरे के हक–हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सूमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर पक्षकारों के तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 157, 158, 188, 159/383, 162, 163, 164, 185, 189, 191 कुल रकबा 14.81 हेक्टर के बारे में पटवारी गोगरा व भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित बंटवाडा के अनुरूप निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य अंतिम बंटवाडा किया जाकर उनके हक–हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है–

क्र. सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	किस्म भूमि	लगान रूपयों में
A	शैतानसिंह, जबरसिंह, केसरसिंह पि.सरदारसिंह 1/2 हिस्सा, चम्पाकंवर पत्नी शैतानसिंह, भंवरीकंवर पत्नी जबरसिंह, लीलाकंवर पत्नी केसरसिंह 1/2 हिस्सा कौम राजपूत सा.देह खातेदार	162	2.39	ज.न.प्र.	25.10
		163	3.87	ज.न.प्र.	40.63
		164	0.31	ज.न.प्र.	3.26
		185	0.45	ज.न.प्र.	4.72
		189	0.37	ज.न.प्र.	9.14
		191	0.32	ज.न.प्र.	3.36
		6	**8.21**	——	**86.20**
B	नरसा वल्द किसना 1/2 हिस्सा, बागाराम, खीमाराम, मोहनलाल पि.लक्ष्मण, रूगा वल्द काना, हंजारिया, मीठीया, धन्ना पि. नथा, हंजाराम, धन्नाराम, मीठाराम पि. नथाराम, ककुडीदेवी पुत्री नथाराम 1/2 हिस्सा कौम भील सा.देह खातेदार	157	0.52	ज.न.प्र.	5.46
		159	1.85	ज.न.प्र.	19.43
		159/383	2.80	ज.न.प्र.	29.40
		188	1.43	ज.न.प्र.	15.01
		4	**6.60**	——	**69.30**

नोटः– प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व राजीनामा इस निर्णय/डिक्री का अभिन्न अंग माना जायेगा।

उपरोक्त बंटवाडा अनुसार पक्षकार एक–दुसरे के हक–हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी गोगरा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय/डिक्री बरोज आज दिनांक 20.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प– अटल सेवा केन्द्र गोगरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner